



नारियल विकास बोर्ड
COCONUT DEVELOPMENT BOARD

भारत सरकार, कोची - 682 016
GOVT. OF INDIA, KOCHI - 682 016

नारियल के नए रोपण के लिए सहायिकी (प्रथम वर्ष) का आवेदन
APPLICATION FOR COCONUT NEW PLANTING SUBSIDY (FIRST YEAR)

जिला:
District

कृषि भवन:.....
Krishi Bhavan

1. आवेदक का नाम :

(साफ अक्षरों में नाम के बाद आद्यक्षर)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Name of the applicant :

(In block letters initials after name)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. आवेदक का पता :

(साफ अक्षरों में)

Address of the applicant :

(In block letters)

3. क्या अ. जा./अ. ज. जा. के हैं :

Whether belongs to SC/ST:

अ जा SC	अ ज जा ST	सामान्य General
------------	--------------	--------------------

4. कृषक के अधीन का कुल क्षेत्र: हे. नारियल के अधीन कुल क्षेत्र: हे.
Total area possessed by the cultivator: Ha. Total area under coconut: Ha.

5. सहायिकी मिलने के लिए पौधे लगाई गई भूमि का विवरण : **
Details of land planted for availing subsidy : **

क्रम. सं. Sl. No.	सर्वेक्षण संख्या Survey No.	क्षेत्र Area		गाँव Village	ताल्लुका Taluk	राज्य State
		(हेक्टर) (in Ha.)	(एकड़) (in Acre)			

** भूमि का स्वामित्व साबित करने हेतु आवश्यक प्रलेख, जैसे भूमि कर रसीद (आवेदन करने के वर्ष की) की प्रतिलिपि (राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यंकित) या कब्जा प्रमाणपत्र आदि आवेदन के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

** Necessary documents to prove the ownership of the land, such as a copy (attested by a gazetted Officer) of the land tax receipt (applying year), or possession certificate etc. should be submitted alongwith the application.

6. क्या आवेदक भूमि का मालिक है :

जी हाँ Yes	जी नहीं No
---------------	---------------

Whether the applicant is the owner of the land :

7. क्या आवेदक को उपर्युक्त भूमि में खेती करने का अनन्य अधिकार है :

जी हाँ Yes	जी नहीं No
---------------	---------------

Whether the applicant has exclusive right to cultivate the above land :

8. भूमि का प्रकार :

रेतीली Sandy	दुम्मटी Loamy	कछारी Alluvial	मखरला Laterite	मृणमय Clayey
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------

Type of soil :

9. सिंचाई पद्धति :

थाला Basin	स्प्रिंकलर Sprinkler	द्रप्स Drip	नहरी Canal	गमला सिंचाई Pot Irrigation
---------------	-------------------------	----------------	---------------	-------------------------------

Mode of irrigation:

10. रोपण सामग्री
Planting material

किस्म (कृषिजोपजाति) Variety (cultivars)	संख्या Nos.	पौधा लगाने समय आयु Age at the time of planting	बीजफलों/बीजपौधों का स्रोत Source of seednuts/ seedlings	लागत Cost	
				रु. Rs.	पे. Ps.
i) टी x डी T x D					
ii) डी x टी D x T					
iii) वेस्ट कोस्ट टॉल West Coast Tall					
iv) ईस्ट कोस्ट टॉल East Coast Tall					
v) लक्षद्वीप ऑर्डिनरी Laccadive Ordinary					
vi) अन्य किस्म Any other variety					

11. रोपण विवरण और अनुरक्षण
Planting details and maintenance

i) रोपण की तारीख :

		199
--	--	-----------

Date of Planting :

ii) रोपण की दूरी :
Planting distance :

iii) लगाए गए बीज पौधों की संख्या :
No. of seedlings planted :

iv) गड्ढे का आकार
Size of the pit :

v) रोपण की गहराई :
Depth of planting :

vi) डाली गई खाद और उर्वरक :
Manures and Fertilizers applied :

जैव Organic		रासायनिक Chemical	
प्रकार Type	मात्रा Qty. प्रति बीजपौधा गड्ढा/पेड़ per seedling/pit/palm	प्रकार Type	मात्रा Qty. प्रति बीजपौधा/गड्ढा/ पेड़ per seedling/pit/palm

12. पौधा संरक्षण के लिए अपनाए गए उपाय (i) रोगों से (ii) नाशी जीवों से
 Plant protection measures adopted against (i) disease (1) (ii) pests (1)
- | | |
|-----|-----|
| (2) | (2) |
| (3) | (3) |
| (4) | (4) |
| (5) | (5) |

13. प्रथम वर्ष में उठाया गया खर्च
 Expenditure incurred during first year

क्रम सं. Sl. No.	मद Item	राशि Amount	
		रु. Rs.	पे. Ps.
(i)	बीजपौधों की लागत Cost of seedlings		
(ii)	कृषि भूमि और रोपण की तैयारी Preparation of land and planting		
(iii)	बाड़ा लगाना, सहारा देना, छाया प्रदान करना Fencing, Propping, Shading		
(iv)	सिंचाई का खर्च Irrigation expenses		
(v)	खाद देने का खर्च Manuring expenses		
(vi)	आन्तरिक कृषि/कूड़ा नियंत्रण Inter-cultivation/weed control		
(vii)	पौधा संरक्षण Plant protection		
(viii)	कृषि उपकरणों की खरीद Purchase of agricultural implements		
	कुल Total		

घोषणा प्रपत्र + आवेदक द्वारा ही भरा जाए
Declaration form to be filled in by Applicant only :

मैं (पुत्र/पुत्री/पत्नी)
I (S/o/W/o/D/o)
पता एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ
Address hereby declare that the
कि ऊपर दी गई सूचना सही है और मैं सहायता प्राप्त करने के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा
information furnished above is true and correct and I shall abide by the terms and conditions prescribed
समय समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं/हम ने वर्ष 199... के दौरान
by the Coconut Development Board for availing of the subsidy from time to time, I/We have incurred
..... संख्या के बीजपौधों के रोपण और अनुरक्षण के लिए रु.
Rs. (Rupees only as actual expenditure for the planting and
(..... रूपए मात्र) खर्च किए हैं।
maintenance of number of seedlings during the year
स्थान
Place :
तारीख
Date : आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
Signature/Thump impression of applicant

प्रमाणपत्र
CERTIFICATE

(राज्य/संघ शासित क्षेत्र के कृषि/उद्यान अधिकारी/बोर्ड के तकनीकी अधिकारी का प्रमाणपत्र)
(Certificate of Agricultural/Horticultural Officer of the State/UT/Technical Officer of the Board)

मैं, श्री/श्रीमती..... ने नारियल रोपण के लिए प्रस्तावित स्थल
I, Shri/Smt. have inspected the site proposed for coco-
nut
का निरीक्षण किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रस्तावित भूमि नारियल कृषि के लिए
planting and to the best of my knowlege and belief the land proposed is suitable for coconut cultivation and the
उपयुक्त है और आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में दिए विवरण के अनुसार रोपण और अनुरक्षण किया है।
applicant has done the planting and other maintenance as per his statement in the application form. I certify that
मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि आवेदक ने वर्ष 199..... के दौरान संख्या
the applicant has incurred an amount of Rs. (Rupees only)
के बीजपौधों के रोपण और अनुरक्षण के लिए रु. (.....
for planting and maintenace of number of seedlings during 199.....
रूपए मात्र) का खर्च उठाया है।

स्थान
Place :
तारीख
Date :

कार्यालय मोहर
Office Seal

हस्ताक्षर
Signature

अधिकारी का नाम और पदनाम
Name and designation of the Officer

कार्यालय उपयोग के लिए
For Office use only

सत्यापित करनेवाले अधिकारी की अभ्यक्तियां :
Verifying Officer Remarks :

नाम और पदनाम
Name and Designation

अध्यक्ष का आदेश
Order of the Chairman

रु. (..... रुपए मात्र) मंजूर किए गए।
Sanctioned Rs. (Rupees

अध्यक्ष
Chairman
नारियल विकास बोर्ड
Coconut Development Board

आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदेश
Instructions for filling application

आवेदक का नाम : एक बॉक्स में एक अक्षर लिखें, आदयक्षर और नाम के बीच एक बॉक्स खाली रखें।
Name of applicant : write one letter in one box, keep one box blank after first name and in between initials.

उदाहरण के लिए : यदि नाम के. मुरलीधरन नायर है तो ऐसे लिखें
For eg: if name is K. Muralidharan Nair, write it as

मु	र	ली	ध	र	न		ना	य	र	के								
M	U	R	A	L	I	D	H	A	R	A	N		N	A	I	R		K

मद सं. 3 के लिए उपयुक्त बॉक्स में चिह्न लगाएँ
For Item No. 3 put a mark in the appropriate box.

मद सं. 4 में पौधा लगाई गई भूमि हेक्टर और एकड़ दोनों में दें।
Under Item No. 4 area planted should be mentioned both in hectares and acres.

मद 6, 7, 8 और 9 के लिए उपयुक्त बॉक्स में चिह्न लगाएँ
For Items 6, 7, 8 and 9 put a mark in the appropriate box.

मद सं. 11 (i) में तारीख पहले बॉक्स में, महीना दूसरे में और वर्ष तीसरे में दें।
Under Item No. 11 (i) Write date in the first box, month in the second box and year in the third box.

उदाहरण के लिए : 12 मई 1994 ऐसे लिखें
For eg : 12th of May 1994 should be written as

12	05	1994
----	----	------

प्रमाणपत्र में संबंधित अधिकारी के कार्यालय मोहर के साथ हस्ताक्षर के बिना मिलनेवाला आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा। आवेदक को घोषणा प्रपत्र में हस्ताक्षर करना चाहिए।
Application without signature of the concerned officer alongwith office seal in the certificate will be sumarily rejected. The applicant should sign in the declaration form.

नारियल विकास बोर्ड

COCONUT DEVELOPMENT BOARD

(भारत सरकार) कोची - 682 016 (GOVT. OF INDIA) KOCHI - 682 016

नारियल के नये रोपण के लिए सहायता की मंजूरी देने की शर्तें
Conditions for the grant of coconut new planting subsidy

1. सहायता के लिए आवेदन बोर्ड द्वारा निर्धारित फार्म में किया जाए और विनिर्दिष्ट प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए।
The application for subsidy shall be made in the form prescribed by the Board and shall be accompanied by the certificates.
2. पूंजीगत सहायता नारियल की खेती करनेवाले किसानों के लिए है, जिनके पास व्यक्तिगत रूप से उद्यान भूमि, नारियल की खेती के लिए उपयुक्त सूखी जमीन 4 हेक्टेयर से अधिक नहीं है।
The Capital subsidy is meant for coconut farmers who do not own individually more than 4 ha. of garden land/dry land suitable for coconut cultivation.
3. उपर्युक्त वर्ग के अन्तर्गत केवल वही आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा जो कम से कम 0.1 हेक्टेयर का नया क्षेत्र नारियल के अधीन लाता है।
Among the above category only those who bring in a minimum of 0.1 ha. of new area under coconut alone are eligible for subsidy.
4. आवेदक को नये रोपण के लिए प्रस्तावित भूमि पर कानूनी अधिकार होना चाहिए।
The applicant should have legal right on the proposed land for new planting.
5. रोपण के लिए बीजपौधे सरकारी नर्सरी या संबद्ध राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी या नारियल विकास बोर्ड से प्राप्त किये जाने चाहिए।
The seedling for planting should be obtained from the Govt. nurseries or nurseries recognised by the concerned State Government or Coconut Development Board.
6. रोपे गये बीजपौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर 160 से कम न हो और प्रत्येक राज्य में आधिकारिक रूप से सिफारिश की गयी संख्या से अधिक भी न हो।
The planting density should not be less than 160 seedlings per ha. and not more than the officially recommended level in each State.
7. आरंभ से ही बीज पौधों को विविध निवेशों का प्रयोग सहित सभी सिफारिश की गयी प्रबंधकीय देखभाल करनी होगी।
The seedlings from the very beginning should receive all the recommended management care including the use of various inputs.
8. समय-समय पर लागू होने वाली सिफारिशों के अनुसार अपेक्षित कृषि संबंधी और अन्य क्रिया-कलापों के बाद ही प्रत्येक वर्ष की सहायता किस्तों की अदायगी की जाएगी।
Every year the disbursement of subsidy instalment will be effected only after the expected cultural and other operations are carried out in accordance with the recommendations in force from time to time.
9. रोपे गये बीजपौधों में, जितने जीवित हैं, इनके आधार पर सहायता मंजूर की जाएगी। जिन बीजपौधों के लिए सहायता दी गयी थी, उनके विनष्ट या क्षतिग्रस्त होने पर कृषक द्वारा स्वयं बीजपौधे बदले जाएंगे और इस के लिए कोई नयी सहायता नहीं दी जाएगी।
The subsidy will be granted on the basis of the actual stand of the seedlings planted. Seedlings for which subsidy was received, if dead or damaged, should be replaced by the grower himself and for this no fresh subsidy will be granted.

10. लाभभोगियों को प्लॉट पर अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में अपने खर्च पर इस आशय का एक बोर्ड लगाना होगा कि "प्लॉट नारियल विकास बोर्ड, कोची द्वारा सहायता प्राप्त है"
The beneficiaries should prominently display a board in the plot indicating that the plot is subsidised by the Coconut Development Board, Cochin in English and regional language at their own expenses.
11. जिन पौधों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की गयी थी, यदि इन पौधों को जानबूझकर नष्ट किया तो, आर्थिक सहायता लेनेवाले व्यक्ति को सहायता की राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वापस करनी होगी।
If plants for which subsidy was received were wilfully destroyed than the owner should remit back the subsidy received with 12 per cent interest.
12. आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी भूमि का यदि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जायेगा तो, आर्थिक सहायता की राशि बोर्ड को वापस की जाएगी।
If any land in respect of subsidy is received is acquired for public purpose the subsidy received should be refunded to the Board.
13. किसी व्यक्ति द्वारा धोखाबाजी या गलत विवरण पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने का पता चला तो आर्थिक सहायता की पूर्ण राशि 12% ब्याज सहित वसूल कर ली जाएगी।
If any person is found to have obtained subsidy by fraud or by misrepresentation the entire amount of subsidy with 12 per cent interest shall be liable to be recovered.
14. आर्थिक सहायता प्राप्त किसी भी भूमि के हक का उत्तराधिकारी, बोर्ड द्वारा निर्धारित ढंग से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने पर और इस आशय का घोषणा पत्र देने पर कि बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करेगा, आर्थिक सहायता की आगे किस्तें प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
A successor in title to any land in respect of which subsidy is received shall be eligible for future instalment of subsidy subject to his applying for the same in the manner prescribed by the Board and subject to his furnishing a declaration to the effect that the shall abide by the terms and conditions of the Board prescribed from tim to time.